बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम में बदलाव पर विचार होगा : नितिन

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन में बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व (ऑनरशिप) अधिनियम को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें मंत्री ने कहा कि फ्लैट खरीदने वालों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम में बदलाव संबंधी मुद्दों पर विचार होगा। उन्होंने आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी जोर दिया।

बैठक में मंत्री ने बिहार अपार्टमेंट ऑनरशिप अधिनियम अधिनियम से जुड़े बदलाव की बात पर कहा कि इसके समाधान के लिए कोई उपाय निकाला जाएगा। वहीं, रेरा की ओर से बताया गया कि वर्तमान में रेरा के लिए छह स्वतंत्र कोर्ट रूम की जरूरत है, जबकि दो ही कोर्ट रूम है। स्थल के अभाव में इसका विस्तार नहीं हो सकता है। इस पर मंत्री ने जांच के निर्देश दिये। बैठक में राज्य में आधारभूत संरचना के त्वरित विकास, अनियोजित शहरीकरण, आयोजना क्षेत्र की परिधि के बाहर अनियंत्रित निर्माण कार्य, भविष्य में अनियंत्रित विकास की आशंका सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रेरा ने नए राजमार्गों के पास अंचलों का आयोजना क्षेत्रों में समावेषण, शहरी नगर निकायों की सीमा से सटे सभी अंचलों का आयोजना क्षेत्रों में समावेषण, आदि का सुझाव दिया। बैठक में रेरा चेयरमैन विवेक कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय सिंह आदि मौजूद रहे।

विकास भवन में रेरा की टीम के साथ सोमवार को बैठक करते नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन, चेयरमैन विवेक कुमार सिंह, सचिव अभय सिंह व अन्य।